कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / पीएसपी–सी / अ–2 / 60566 / प्रबन्ध अंतरण / वो–1 / 2023–24 / 15-20 दिनांक : 12/05/23

विस्तृत विज्ञप्ति

गैर सरकारी क्षेत्र मे संचालित विद्यालयों द्वारा प्राप्त मान्यता / क्रमोन्नति को समर्पित किए जाने, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के प्रबन्ध अन्तरण एवं नाम परिवर्तन आदि की स्वीकृति हेतु इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2023–24 में राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.9(51)शिक्षा–5 / मान्यता दिशा–निर्देश / 2022 जयपुर दिनांक 22.12.2022 एवं 07.05.2023 के क्रम में ऑन लाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं

विज्ञप्ति टाईम–फ्रेम

क.सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम		संबंधित कार्यालय
1.	गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑन लाइन आवेदन कर समस्त पत्रावली स्केन कर ऑनलाइन अपलोड कर आवेदन शुल्क ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मय समस्त सूचना लॉक करना।	सामान्य शुल्क	15.05.2023 से 31.05.2023 तक	सम्बन्धित संस्था
		विलम्ब शुल्क	01.06.2023 से 10.06.2023 तक	
2.	विद्यालय द्वारा लॉक आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन की कार्यवाही	आवेदन लॉक करने की तिथि से 05 दिवस की अवधि तक		संबंधित संस्था
3.	विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण कर ई–ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवा दिये जाने की स्थिति आवेदन लॉक होने पर (विलम्ब शुल्क वाले आवेदनों पर भी उपरोक्त प्रक्रिया के तहत ही कार्यवाही करें)	विद्यालय द्वारा आवेदन लॉक किए जाने एवं उसमें संशोधन किए जाने की 5 दिवस की अवधि के पश्चात से लगातार....		एनआईसी
4.	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से ऑनलाईन आवेदन के अनुसार विद्यालय से दस्तावेज प्राप्त करना	विद्यालय द्वारा आवेदन लॉक किए जाने एवं उसमें संशोधन किए जाने की 7 दिवस की अवधि के पश्चात से लगातार...		संबंधित कार्यालय जिशिअ प्रारम्भिक / माध्यमिक
5.	प्रकरण का परीक्षण एवं आक्षेप– आवेदन पत्रावली मय दस्तावेज प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर प्राप्त पत्रावली का पूर्ण परीक्षण करना। परीक्षण कर आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में पोर्टल पर अपनी नियमसंगत स्पष्ट अनुशंषा सहित निदेशालय को अग्रेषित करना एवं सम्पूर्ण पत्रावली, निदेशालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध कराना। (यदि आक्षेप हो तो आक्षेप पूर्ति के 07 दिवस के भीतर) परिशिष्ट की पूर्ति के साथ।	निरीक्षण दल द्वारा पत्रावली जमा करवाने के 15 दिवस के भीतर		संबंधित जिशिअ प्रार. / माध्यमिक एवं संबंधित संस्था
6.	निदेशालय द्वारा प्राप्त पत्रावली जांच उपरान्त अनुमोदन जारी करना	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्रावली निदेशालय स्तर पर ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी प्राप्त होने की दिनांक से लगातार		निदेशालय माशि. / प्राशि. राजस्थान
7.	निदेशालय द्वारा अनुमोदन किए जाने के उपरांत पात्र संस्थाओं से बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में आरक्षित कोष की राशि	निदेशालय से अनुमोदन उपरान्त 15 दिवस की अवधि में		संबंधित संस्था एवं कार्यालय जिशिअ. प्राशि / माशि मुख्यालय

Rajasthan Education Department

	की डीडी/सावधि जमा प्राप्त करना।			
8.	मान्यता आदेश/निरस्त आदेश जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना।	**मान्यता प्रमाण पत्र**	**निरस्त प्रमाण पत्र**	कार्यालय जिशिअ. प्राशि/ माशि. मुख्यालय
		संबंधित विद्यालय से एफडी/डीडी प्राप्त होने के 02 दिवस के भीतर	निदेशालय स्तर के अनुमोदन उपरान्त 02 दिवस के भीतर	

निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि ई–ग्रास के माध्यम से जमा करानी होगी। मान्यता/क्रमोन्नति को समर्पित किए जाने, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के प्रबन्ध अन्तरण एवं नाम परिवर्तन आदि की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, शुल्क विवरण, दिशा–निर्देश आदि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक कार्यालय एवं **प्राईवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी)** (https:// rajpsp.nic.in/ PSP2/ Home/Home.aspx) तथा **विभागीय वेबसाईटः**–(https://education.rajasthan.gov.in/content /raj/education/secondaryeducation/en/order/PSP.html) पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। विद्यालयों द्वारा कैलेण्डर की पालना नहीं करने की स्थिति में आवेदन हेतु स्वतः हीं अपात्र हो जायेंगे।

Rajasthan Education Department

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक,
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर।

सत्यमेव जयते

सामान्य दिशा–निर्देश

राज्य में संचालित गैर सरकारी विद्यालयों के प्रबन्ध अन्तरण/नाम परिवर्तन/मान्यता समर्पण के लिए शासन सचिवालय से प्राप्त पत्र क्रमांकः प.9(51)शिक्षा–5/मान्यता दिशा–निर्देश/2022 जयपुर दिनांक 22.12.2022 एवं 07.05.2023 की अनुपालना में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मान्यता/क्रमोन्नति हेतु जारी विज्ञप्ति सत्र 2023–24 से पृथक प्रकृति मानते हुए प्रबन्ध अंतरण एवं मान्यता समर्पण हेतु पृथक से ऑनलाइन आवेदन किये जाने के दिशा–निर्देश प्राप्त हुए हैं। प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023–24 में मान्यता समर्पण एवं नाम परिवर्तन तथा मान्यता समर्पण हेतु शैक्षिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने एवं विभागीय कार्यालयों के लिए करणीय कार्य के संबंध में राजस्थान गैर शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 तथा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं /आदेशों/परिपत्रों के आधार पर तैयार कर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रस्तारित किए जा रहें हैं। **यदि इन दिशा निर्देशों में और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश/परिपत्रों में कोई विसंगति/उल्लेख नही होने पर मूल अधिनियम/नियम/ अधिसूचना/आदेश/परिपत्र ही मान्य होंगे।**

1. सामान्यतः गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा **प्रबन्ध अन्तरण के साथ** किए जाने वाले आवेदन के साथ नाम परिवर्तन हेतु आवेदन किया जाता है जिसे ध्यान में रखते हुए ऑनलाईन आमंत्रित किए जाने वाले आवेदनों में **नाम परिवर्तन के आवेदन** को सम्मिलित किया गया है।

2. प्रबन्ध अतंरण एवं मान्यता समर्पण के आवेदनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दी जाने वाली स्वीकृति से पूर्व किया जाने वाला भौतिक निरीक्षण को आवेदन प्रक्रिया से पृथक किया गया है जिससे की सम्पूर्ण प्रक्रिया को सरल एवं अतिशीघ्र सम्पादित किया जा सके उक्त दोनों प्रकार के आवेदनों में संबंधित संस्था को किसी भी प्रकार की मान्यता में वृद्धि नहीं हो रही है। अतः उक्त भौतिक निरीक्षण का कोई औचित्य नहीं है।

3. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 में निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया गया हैं जिनकी पालना में मान्यता समर्पण एवं प्रबन्ध अंतरण हेतु निर्धारित टाईमफ्रेम के अनुसार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहें हैं–

I. धारा 13 के अनुसार जब कभी किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध अंतरण किया जाना प्रस्तावित हो तो सचिव अथवा वह व्यक्ति जिसे प्रबन्ध अन्तरित किया जाना प्रस्तावित हो, अंतरण के अनुमोदन के लिए ऐसे अंतरण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को संयुक्त रूप से आवेदन करेंगें।

II. धारा 14 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्था या उसकी कक्षा अथवा उसमें किसी भी विषय का अध्यापन, सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से कोई नोटिस दिये बिना बन्द नहीं किया जायेगा। यह दर्शित किया जाना होगा कि अध्ययन की उस अवशिष्ट सम्पूर्ण कालावधि में जिसके लिए कि विद्यार्थियों को भर्ती किया गया था, विद्यार्थियों का अध्यापन चालू रखने या छात्रों के द्वारा संदत फीस के अवशिष्ट, यदि कोई हो, के प्रतिदाय के लिए पर्याप्त इन्तजाम कर लिये गये है।

III. धारा 15 के अनुसार तत्समय प्रवृत किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी सहायता प्राप्त संस्था की किसी भी सम्पति में के किसी भी अधिकार या हित का या उसके कब्जे का विक्रय, बंधक प्रभार के रूप में या अन्यथा किये जाने वाला कोई भी अन्तरण शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को विहित रीति से आवेदन करने और लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के सिवाय नहीं किया जायेगा ।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

IV. धारा 15 (4) के अनुसार सहायता प्राप्त संस्था के बन्द कर दिये जाने या चालू न रहने या उसकी मान्यता वापस ले लिये जाने की दशा में उसकी प्रबन्ध समिति का सचिव संस्था के सभी अभिलेख, लेखे और सम्पतियों का प्रबन्ध और कब्जा, शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को सौंप देगा।

4. राजस्थान गैर शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 के नियम 22 के अनुसार स्थावर सम्पति के अन्तरण के लिए पूर्व अनुमोदन, जैसा कि अधिनियम की धारा 15 के अधीन परिकल्पित है, चाहने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी–

(क) स्थावर सम्पति का वर्णन
(ख) वह प्रयोजन जिसके लिए उसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है।
(ग) क्रय/निर्माण का वर्ष
(घ) क्रय/निर्माण की लागत
(ड) वर्तमान मूल्य
(च) सम्पति का क्रय/निर्माण करने के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की रकम,
(छ) अन्तरण के लिए कारण,
(ज) अन्तरण की प्रकृति
(झ) किसको अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, और
(ण) मांगी गयी अन्य सूचनाएं, यदि कोई हो।

5. आवेदन से संबंधित विद्यालय के भौतिक निरीक्षण के अतिरिक्त शेष प्रक्रिया वही रहेगी जो **सामान्य मान्यता/क्रमोन्नति के ऑनलाईन आवेदन संबंधी प्रक्रिया में अपनाई जाती है अर्थात संबंधी विद्यालय द्वारा लॉक किये जाने के पश्चात आवेदन मय पत्रावली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन अग्रेसित की जायेगी।** प्राप्त पत्रावली का जिशिअ द्वारा परीक्षणोपरान्त यदि आक्षेप है तो आक्षेप लगाने के पश्चात प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त आवेदन मय सम्पूर्ण दस्तावेज निदेशालय स्तर को अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित कियें जायेगें। निदेशालय स्तर पर पत्रावलियों के जाचोंपरान्त अनुमोदन किया जायेगा। अनुमोदन के पश्चात संबंधी जिशिअ कार्यालय से आवेदन के संबंध में स्वीकृति/निरस्ति प्रमाण पत्र संबंधी संस्था को जारी कियें जायेगें। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार पूर्ण की जानी अनिवार्य होगी।

6– सम्पूर्ण मान्यता समर्पण/आंशिक समर्पण के प्रकरण में उक्त गैर सरकारी विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियम 2011 के अन्तर्गत विद्यार्थी अध्ययनरत हो तो उक्त विद्यार्थियों के **अभिभावकों की सहमति से निकटवर्ती** सरकारी विद्यालय/गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश करवाये जाने संबंधित सहमति पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्रावली में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

आवेदन पत्रावली को जिशिअ कार्यालय पर जमा करवाने के दौरान संलग्न दस्तावेजों की सूची

प्रबन्ध अन्तरण	नाम परिवर्तन	सम्पूर्ण मान्यता/आंशिक समर्पण
1. भूमि माप संबंधी दस्तावेज (संस्था के स्वामित्व के अथवा पंजीकृत किरायानामा) 2. विद्यालय भवन का ब्लु प्रिंट (सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) 3. दोनों संस्थाओं (जिसके द्वारा एवं जिसको अंतरित किया जाना है) के संस्था संबंधी सभी दस्तावेज। जैसे विधान, सोसाइटी के पंजीयन की प्रमाणित प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की पंजीकृत प्रति 4. पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति 5. दोनों संस्थाओं द्वारा प्रबन्ध अंतरण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 6. दोनों संस्थाओं के स्थावर संपतियों का पृथक–पृथक विवरण 7. सीए रिपोर्ट 8. निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र 9. अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 10. विद्यालय एवं संबंधित जिशिअ के नाम से संयुक्त एफडीआर की प्रति 11. विद्यालय के 05 रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गयें हैं। 12. मान्यता शुल्क का ईग्रास चालान 13. फीस एक्ट की पालना किये जाने के सबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 14. आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण 15. विद्यालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कार्यवाही लम्बित/प्रक्रियाधीन है तो विवरण की प्रति 16. विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो विवरण प्रति संलग्न करें। 17. विद्यालय भवन अथवा भूमि के प्रकार संस्थानिक प्रयोजनार्थ की सत्यापित प्रति (यदि लागू है तो)	1. भूमि माप संबंधी दस्तावेज (संस्था के स्वामित्व के अथवा पंजीकृत किरायानामा) 2. विद्यालय भवन का ब्लु प्रिंट (सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) 3. संस्था के विधान, सोसाइटी के पंजीयन की प्रमाणित प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की पंजीकृत प्रति 4. पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति 5. संस्था द्वारा नाम परिवर्तन के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 6 सीए रिपोर्ट (विगत 03 वर्ष) 7. निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र 8. अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 9. विद्यालय के 05 रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गयें हैं। 10. मान्यता शुल्क का ईग्रास चालान 11. फीस एक्ट की पालना किये जाने के सबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 12. आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण 13. विद्यालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कार्यवाही लम्बित/प्रक्रियाधीन है तो विवरण की प्रति 14. विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो विवरण प्रति संलग्न करें। 15. विद्यालय भवन अथवा भूमि के प्रकार संस्थानिक प्रयोजनार्थ की सत्यापित प्रति (यदि लागू है तो)	1. भूमि माप संबंधी दस्तावेज (संस्था के स्वामित्व के अथवा पंजीकृत किरायानामा) 2. विद्यालय भवन का ब्लु प्रिंट (सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) 3. संस्था के विधान, सोसाइटी के पंजीयन की प्रमाणित प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की पंजीकृत प्रति 4. पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति 5. संस्था द्वारा सम्पूर्ण मान्यता /आंशिक समर्पण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 6 सीए रिपोर्ट (विगत 03 वर्ष) 7. निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र 8. अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 9. विद्यालय के 05 रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गयें हैं। 10. आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण 11. विद्यार्थियों के **अभिभावकों की सहमति से निकटवर्ती** सरकारी विद्यालय/गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश करवाये जाने संबंधित सहमति पत्र 12. विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो विवरण प्रति संलग्न करें। 13. विद्यालय द्वारा बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित बकाया भुगतान नहीं होने का शपथ पत्र एवं विद्यालय में कार्यरत सभी शैक्षिक गैर शैक्षिक कार्मिक स्टाफ के वेतन भुगतान संबंधी विवरण

नोट : उक्त सामान्य दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त शेष नियम व शर्ते शैक्षिक सत्र 2023–24 मे जारी मान्यता/क्रमोन्नति दिनांक 24.12.2022 के अनुसार ही लागू रहेगीं।

Rajasthan Education Department

परिशिष्ट 3 (जी)
शुल्क विवरण

फीस का विवरण				
1	2	3	4	5
आवेदन का प्रकार	**प्राथमिक स्तर (1–5)**	**उच्च प्राथमिक स्तर (1–8)**	**माध्यमिक स्तर (1–10)**	**उच्च माध्यमिक स्तर (1–12)**
प्रबन्ध अन्तरण	10000	20000	40000	50000
नाम परिवर्तन	10000	20000	40000	50000
स्वीकृति (उपरोक्त में से कोई एक अथवा दोनों प्रकार के आवेदनों में) प्रदान की जाने की स्थिति में सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के नाम से बनने वाले डीडी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) की राशि का विवरण	10000	20000	40000	50000

नोट :

1. **मान्यता समर्पण** के लिए गैर सरकारी विद्यालय द्वारा किए गए आवेदन को **निःशुल्क किया जा सकेगा।**

2. सामान्य शुल्क के साथ आवेदन हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन शुल्क के साथ 10000 रूपये विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

3. प्राथमिक स्तर के विद्यालय हेतु 100000 रूपये (एक लाख रूपये) की राशि एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु 300000 रूपये (03 लाख रूपये) की राशि की एफडी (फिक्सड डिपोजिट) विद्यालय एवं संबंधित जिशिअ के संयुक्त नाम की होनी अनिवार्य है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते